न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी।

आदेश

जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–122/सी0, दिनांक–19.01.2025 में संशोधन करते हुए मैं रिची पाण्डेय, जिला दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–163 के तहत सीतामढ़ी जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग–8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक–**23.01.2025** तक प्रतिबंधित करता हूँ। वर्ग–8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

यह आदेश दिनांक–22.01.2025 से दिनांक–23.01.2025 तक सीतामढ़ी जिला में प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक–21.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
सीतामढ़ी।

ज्ञापांक– 132 /सी0, दिनांक– 21.01.2025

प्रतिलिपि :–आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :–पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिला/सभी थानाध्यक्ष, सीतामढ़ी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–उप विकास आयुक्त, सीतामढ़ी/अपर समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

प्रतिलिपि :–जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

RP
21/1/25

जिला दण्डाधिकारी,
सीतामढ़ी।